

संदर्भ:आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/253/09/2021

दिनांक: 17 सितंबर 2021

Ref:IRDAI/Life/Cir/Misc/253/09/2021

Date: 17th September, 2021

प्रति सभी जीवन बीमाकर्ता

To All Life Insurers

विषय: (क) इलेक्ट्रॉनिक पालिसियों के निर्गम और (ख) प्रस्ताव फार्मों पर भौतिक हस्ताक्षर समाप्त करने - के लिए समय-सीमाएँ बढ़ाना

Re: Extension of timelines for (a) Issuance of Electronic Policies and (b) Dispensing with Physical Signatures on the proposal forms

प्रस्ताव फार्मों पर भौतिक हस्ताक्षर समाप्त करने के संबंध में परिपत्र सं. आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/274/11/2020 दिनांक 11 नवंबर 2020 तथा परिपत्र सं. आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/055/03/2021 दिनांक 22 मार्च 2021 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Reference is drawn to the Circular No. IRDAI/Life/Cir/Misc/274/11/2020 dated 11th November 2020 and Circular No. IRDAI/Life/Cir/Misc/055/03/2021 dated 22nd March 2021 on Dispensing with physical signatures on proposal forms.

इलेक्ट्रॉनिक पालिसियों के निर्गम के संबंध में परिपत्र सं. आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/207/08/2020 दिनांक 4 अगस्त 2020 तथा परिपत्र सं. आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/056/03/2021 दिनांक 22 मार्च 2021 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Reference is also drawn to the Circular No. IRDAI/Life/Cir/Misc/207/08/2020 dated 4th August 2020 and Circular No. IRDAI/Life/Cir/Misc/056/03/2021 dated 22nd March, 2021 on Issuance of Electronic Policies.

कोविड-19 महामारी की जारी रही स्थिति को देखते हुए, प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऊपर संदर्भित परिपत्रों के अनुसार प्रदत्त छूटों को 31/03/2022 तक बढ़ाया जाए।

In view of the continuing situation of Covid 19 pandemic, it is decided by the Authority to further extend the exemptions granted vide the above referred Circulars up to 31/03/2022.

उपर्युक्त परिपत्रों के सभी अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

All other provisions of the above referred Circulars remain unchanged.

इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

This has the approval of the Competent Authority.

हस्ता./- -Signed-

(वी. जयंत कुमार / V. Jayanth Kumar)

मुख्य महाप्रबंधक (जीवन बीमा) / Chief General Manager (Life Insurance)